



## ऊर्जा सैल, ऊर्जा विभाग उत्तराखण्ड शासन

निदेशक ऊर्जा सैल, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन  
4- सुभाष रोड, उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून-248001  
दूरभाष: 0135-2523223

### संविदा के आधार पर नियुक्ति

ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अन्तर्गत गठित "ऊर्जा सैल" में विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु नितान्त अस्थाई रूप से निम्न पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती हेतु अर्ह अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र०	पदनाम	नियत मानदेय (रु०)	कुल पद	योग्यता	अनुभव
1	अधिशासी अभियन्ता ( सिविल )	80,000 /- प्रतिमाह	01	मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/ संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में बी०ई०/बी०टेक/बीएससी(इंजी०)/एएमआईई (सेक्शन-ए एवं बी)	तकनीकी अर्हता प्राप्त करने के पश्चात किसी सरकारी विभाग/पी०एस०यू०/स्वपोषित संस्थानों/ निजी संस्थाओं में ऊर्जा क्षेत्र/इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव।
2	अधिशासी अभियन्ता ( विद्युत/यांत्रिक )	80,000 /- प्रतिमाह	01	मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्थान से इलैक्ट्रिकल/मैकेनिकल अभियांत्रिकी में बी०ई०/बी०टेक/बीएससी(इंजी०)/एएमआईई (सेक्शन-ए एवं बी)	तकनीकी अर्हता प्राप्त करने के पश्चात किसी सरकारी विभाग/पी०एस०यू०/स्वपोषित संस्थानों/ निजी संस्थाओं में ऊर्जा क्षेत्र/इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव।

### नियम एवं शर्तें:-

1. नियुक्ति दिनांक 29.02.2024 तक के लिए की जायेगी।
2. अभ्यर्थी का चयन, सूचीबद्ध अभ्यर्थियों (Shortlisted Candidate) के साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा।
3. उक्त नियुक्ति के फलस्वरूप ऊर्जा सैल में नियमित संवर्ग में नियुक्ति हेतु अधिकार/दावा स्वीकृत नहीं होगा।
4. ऊर्जा सैल के पास इस विज्ञप्ति एवं सम्बन्धित नियुक्ति प्रक्रिया को किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
5. साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
6. इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रपत्र एवं सम्बन्धित अभिलेखों के साथ आवेदन कर सकते हैं।
7. इच्छुक अर्ह अभ्यर्थी यूजेवीएनएल की वेबसाइट [www.ujvnl.com](http://www.ujvnl.com) पर दिये गये निर्देशों के अनुसार दिनांक 15.01.2024 तक आवेदन पत्र भरकर ऊर्जा सैल, यूजेवीएन लि०, "उज्ज्वल" महारानी बाग, जी०एम०एस० रोड, देहरादून-248006 को प्रेषित करें।

निदेशक-ऊर्जा सैल  
उत्तराखण्ड शासन